



इसके अर्थ यह कि बा.स.स. के  
 कृष्णगंगा ग्रामयानी-गांव में होने से राजस्व  
 कार्य एवं कारशकारी अधिकार संबंधी सभी  
 प्रकार के कार्य गौण हो गिनाय संबंध  
 ग्रामयानी को ही स्थानीय व ग्रामयानी को ही  
 जायपुर व ग्रामयानी परचय व्यवस्थापन से  
 संबंधी हो अतः ग्रामयानी के व्यवस्थापन के  
 अन्तर्गत बा.स.स. के सुगवाही एवं कौशलिक  
 व व्यवसायिक (नदी) हो अतः कृषि कार्या  
 में सहायता कारशकारी अधिकार के  
 प्रावधान लागू नहीं होते हैं अतः कार्या  
 की विषय वस्तु को लेकर ग्रामयानी एवं  
 के प्रावधान प्रभावी हो अतः बा.स.स. के  
 तहसील में सिरोही के अन्तर्गत जायपुर  
 के कार्या पर इस व्यवस्थापन के सुग  
 का कौशलिक व व्यवसायिक नहीं हो  
 से अन्तर्गत किया जाय हो गिनाय संबंध  
 के म्य को ही कृष्णगंगा में ग्रामयानी में  
 सुगवाही प्रभावी के अन्तर्गत होकर  
 नंबर से प्रस है।

दिनांक 14/11/18

सहायक कलेक्टर  
 सिरोही (राज.)

दिनांक